89

CANCELLED
10 Rs. COURT FEE
5 Rs. COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2007 पुनरीक्षण.

R 809-II/07

1) रामचरित्र,)
2) रामसनेही,) पुत्रगण श्री कुटकऊ अहीर,
3) चतुरभुज,)

निवासीगण ग्राम गड़ेरिया, तेहसील सिंगरौली,
जिला सीधी ---- आवेदकगण.

बनाम.

सुरेन्द्र तिवारी पुत्र श्री लालमन,
निवासी गड़रिया, तेहसील सिंगरौली,
जिला सीधी -- --अनावेदक.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध आदेश दिनांकी 9-10-06 पारित द्वारा व्ही.
सिंह, अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, प्र० क्र० 99/
02-03 वउनवान सुरेन्द्र तिवारी बनाम रामचरित्र आदि.

माननीय महोदय,

आवेदकगणकी ओर से पुनरीक्षण निम्न आ...
पर प्रस्तुत है :-

1) यहकि, योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पुनरीक्षणाधीन आदेश विधि-विधान, प्रकरणपत्रावलीव न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2) यहकि, योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश माननीय न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

---2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 809–तीन/07 जिला –सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.2016	आवेदक के अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक के अनुपस्थित नहीं होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	